न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2023/144

1. जीतेन्द्र पुत्र रामेश्वर प्रसाद
2. राजेश पुरत्र रामेश्वर प्रसाद
3. रामेश्वर प्रसाद पुत्र बूलाराम, जाति अहीर (यादव) निवासियान कंवरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
4. नाबालिग अखिलेश पुत्र रघुवीर संरक्षक विमला देवी पत्नि रघुवीर, जाति अहीर (यादव)
5. नाबालिग देवेश पुत्र देवेन्द्र कुमार सरंक्षक देवेन्द्र कुमार पुत्र मालाराम, जाति अहीर (यादव) निवासियान भालोजी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, कोटपूतली, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत भालोजी जरिये सरपंच पंचायत समिति कोटपूतली, जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर निर्णय दिनांक 17.11.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया

उपस्थित–

1. श्री राजाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट
2. श्री सुनिल कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –12.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के खिलाफ प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 30.05.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के पत्रांकः भू.अ./2021/10 दिनांक 08.10.2021 के साथ मौका निरीक्षण रिपोर्ट, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 मौजा भालोजी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2074–77 एवं 2076 से स्थाई के अनुसार रास्ता राजकीय खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता कच्चा–पक्का रास्ते के रूप में दर्ज है एवं कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। मौके पर चालू कच्चा–पक्का रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) विधमान है। जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म कच्चा–पक्का रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार कोटपूतली प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 58, 59, 60, 60एच, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के

संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 17.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट जीतेन्द्र पुत्र रामेश्वर प्रसादर वगै. द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर निर्णय दिनांक 17.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि दिनांक 08.10.2021 को रेस्पोडेन्ट/नॉन अपीलान्ट संख्या 3 ने कैम्प प्रभारी को एक पत्र ग्राम भालोजी की आबादी से पहाडी के पास से होते हुए खसरा नम्बर 155 तक डॉट डॉट रास्ते को गोरनपुरा के कटानशुदा मार्ग तक स्थाई करने बाबत प्रेषित किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट/नॉन अपीलान्ट संख्या 2 ने उसी दिन अर्थात दिनांक 08.10.2021 को ही रेस्पोडेन्ट/नॉनअपीलान्ट संख्या 1 को पत्र लिखकर राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के तहत राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टस की खातेदारी भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने की अनुशंसा की, तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट/नॉनअपीलान्ट संख्या 1 ने दिनांक 17.11.2021 को अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 239, 495, 495/2070 मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया। अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 0.21 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 495 रकबा 0.46 हैक्टेयर ग्राम भालोजी पटवार हल्का भालोजी में स्थित है तथा अपीलान्ट संख्या 4 व 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 495/2070 राजस्व ग्राम भालोजी में स्थित है तथा आराजीयात पर अपीलान्टस की कब्जा काश्त सालों से चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट/नॉनअपीलान्ट संख्या 1 नपे दिनांक 17.11.2021 को अपीलान्ट्स को बिना कोई सूचना दिये व हियरिंग का मौका दिये बिना उनकी खातेदारी भूमि में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया। खसरा नम्बर 239, 495 व 495/2070 में क्रमश 0.260 हैक्टेयर, 0.520 हैक्टेयर व 0.1170 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जो गैर कानूनी है और काबिले निरस्त है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से 239/1, 495/1, 495/2070/1 नये खसरा नम्बरान तरमीम कर अपीलान्टस की खातेदारी भूमि का रकबा 0.1950 हैक्टेयर गै.मु. रास्ते में दर्ज कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट/नॉनअपीलान्ट संख्या 3 ने खसरा नम्बर 155 के पास होते हुए डॉट डॉट रास्ते को गोरधनपुरा के कटानशुदा मार्ग तक स्थाई करने की अनुशंषा की है, जब कि गैर मुमकिन रास्ते के आस पास या दूर दूर तक उक्त खसरा नम्बर स्थित ही नहीं है। अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में कोई चालू कच्चा पक्का रास्ता ना तो पूर्व में विद्यमान था और ना ही आज विद्यमान है, ना ही अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से किसी भी राजस्व ग्राम भालोजी के नागरिक ने रेस्पोडेन्ट/नॉनअपीलान्ट के यहां लिखित या मौखिक रास्ते की मांग की है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/नॉन अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में रकबे की कटौती कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करना ना तो युक्तियुक्त है और ना ही न्याय संगत है। जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2021 की प्रार्थी अपीलान्ट को जानकारी इसलिये नहीं हो पाई कि प्रार्थी अपीलान्ट को आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया ना ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । हाल ही में दिनांक 16.05.2022 को हल्का पटवारी भालोजी से प्रार्थी अपीलांट ने अपनी जमाबंदी बाबत खातेदारी हेतु सम्पर्क किया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तो हल्का पटवारी द्वारा उसे बताया गया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 239, 495, 495/2070 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश हुये हैं। इसलिये प्रार्थी अपीलांट को आदेश दिनांक 17.11.2021 की जानकारी दिनांक 16.05.2022 को हुई और दिनांक 16.05.2022 के पश्चात तुरन्त बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी गयी है जिसे पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 से अपील पेश करने तक के समय को कन्डोन किया जाने के आदेश करते हुए अपील प्रार्थीगण/अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। अतः अपील मय पथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 17.11.2021 तथ्यों व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के पत्रांकः भू.अ./2021/10 दिनांक 08.10.2021 के साथ मौका निरीक्षण रिपोर्ट, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 मौजा भालोजी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2074–77 एवं 2076 से स्थाई के अनुसार रास्ता राजकीय खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता कच्चा–पक्का रास्ते के रूप में दर्ज है एवं कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। मौके पर चालू कच्चा–पक्का रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) विधमान है। जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म कच्चा–पक्का रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार कोटपूतली प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 58, 59, 60, 60एच, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 भूमि की किस्म गौर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत भालोजी पंचायत समिति कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 08.10.2021 कैम्प प्रभारी अधिकारी कैम्प भालोजी में प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा गोरधनपुरा के कटानशुदा मार्ग तक स्थाई काटने के लिये निवेदन किया गया। तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के पत्रांकः भू.अ./2021/10 दिनांक 08.10.2021 के साथ मौका निरीक्षण रिपोर्ट, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 मौजा भालोजी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2074–77 एवं 2076 से स्थाई के अनुसार रास्ता राजकीय खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता कच्चा–पक्का रास्ते के रूप में दर्ज है एवं कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। मौके पर चालू कच्चा–पक्का रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) विधमान है। जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म कच्चा–पक्का रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार कोटपूतली प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 58, 59, 60, 60एच, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के पत्रांकः भू.अ./2021/10 दिनांक 08.10.2021 के साथ मौका निरीक्षण रिपोर्ट, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 मौजा भालोजी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2074–77 एवं 2076 से स्थाई के अनुसार रास्ता राजकीय खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता कच्चा–पक्का रास्ते के रूप में दर्ज है एवं कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। मौके पर चालू कच्चा–पक्का रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) विधमान है। जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म कच्चा–पक्का रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार कोटपूतली प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 58, 59, 60, 60एच, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी नम्बर 239, 495, 495/2070, 527, 472, 472/2050, 469 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 17.11.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर